

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर: 212/2022

वादी -

1. रूडीदेवी पत्नि दानाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
2. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 53 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
3. प्रेमचन्द पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 51 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
4. सोहनीदेवी पुत्री दानाराम जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामदेव पुत्र जयराम जाति जाट उम्र 85 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
2. बिरदीदेवी पत्नि जयराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी चौसला तहसील नावां।
3. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

दावा इस्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री अमरचंद पंवार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

निर्णय

दिनांक :- 11.07.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.43 हैक्टर कुल रकबा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। हाल में हुए सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नम्बर 216 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर में वादीगण के पति/पिता दानाराम जी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 बिरदीदेवी का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया व वादीगण के पति/पिता दानाराम व प्रतिवादी संख्या 1 को ग्राम चौसला का निवासी अंकित कर दिया। खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219 कुल रकबा 2.34 हैक्टर में से 1/4 हिस्से को वादीगण

बहिस्सा बराबर बराबर व $1/4$ हिस्से की भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव व $1/2$ हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 बिरदीदेवी काबिज कृषक है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा व निवासी चौसला की जगह बाजणा दर्ज करवाना चाहते हैं। मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.43 हैक्टर कुल रकबा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि में से वादीगण के पति/पिता दानाराम जी के हक हिस्से की आई भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे तथा ग्राम बाजणा के खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219 कुल रकबा 2.34 हैक्टर में से वादीगण को $1/3$ हिस्से की जगह $1/4$ हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को $1/3$ हिस्से की जगह $1/4$ हिस्से की भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 को $1/3$ हिस्से की जगह $1/2$ हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का निवास स्थान चौसला की जगह बाजणा दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे इस आशय की इस्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरुस्ती की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। है। प्रतिवादी संख्या 3 के तामील सुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरचंद पंवार ने इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.43 हैक्टर कुल रकबा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि में से वादीगण के पति/पिता दानाराम जी के हक हिस्से की आई भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे तथा ग्राम बाजणा के खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219 कुल रकबा 2.34 हैक्टर भूमि में से वादीगण को $1/3$ हिस्से की जगह $1/4$ हिस्से की भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को $1/3$ हिस्से की जगह $1/4$ हिस्से की भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 को $1/3$ हिस्से की जगह $1/2$ हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का निवास स्थान चौसला की जगह बाजणा दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे। इस्तदुआ माफिक डिक्री की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं

है। हमारी पूर्ण सहमति साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादीया रुडीदेवी, पी.डब्ल्यू. 2 वादी ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 3 वादी प्रेमचन्द्र, पी.डब्ल्यू. 4 वादीया रोहनीदेवी, पी.डब्ल्यू.5 गवाह कल्याणराम पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी बाजणा, पी.डब्ल्यू.6 गवाह रतनाराम पुत्र सुवाराम जाति गुर्जर निवासी बाजण के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल चालू जमाबंदी प्रदर्श 1 से 3, गूल बैचाननामा दिनांक 25.03.1987 प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, मिशाल बंदोबरत 2046 से 2065 प्रदर्श 6, नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 353/70 संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श 7, नकल जमाबंदी खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219 संवत् 2067 से 2070 पेश किये। साक्ष्य वादी में ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी को बंद की गई। पत्रावली को बंद हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इकबाली जवाब तथा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.43 हैक्टर कुल रकबा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि में खातेदार दाना पुत्र जयराम की मृत्यु दिनांक 03.07.2020 (वाद पत्र में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार) हो जाने एवं सरपंच ग्राम पंचायत बजरन द्वारा पारिवारिक सजरा (वाद पत्र में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा अनुसार) के आधार पर खातेदार दाना पुत्र जयराम के वारिसान वादीगण होने से खातेदार दाना पुत्र जयराम के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव का निवास स्थान चौसला की जगह बाजणा दुरुस्त कर घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मौजा ग्राम बाजणा के खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219 कुल रकबा 2.34 हैक्टर भूमि में वादीगण के पति/पिता दाना का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। बैचाननामा दिनांक 25.03.1987 प्रदर्श 4 व मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 के अवलोकन से उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 बिरदीदेवी ने गोधा पुत्र नंदा से भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा खरीद की हैं तथा वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के इकबाली जवाब अनुसार मौजा ग्राम बाजणा के खसरा नम्बर 216, 217, 218, 219 कुल रकबा 2.34 हैक्टर भूमि में खातेदार दाना के वारिसान वादीगण को 1/4 हिस्सा का बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी

नावां (नागौर)

आदेश


अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.43 हैक्टर कुल रकबा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि में खातेदार दाना पुत्र जयराम की मृत्यु दिनांक 03.07.2020 (वाद पत्र में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार) हो जाने एवं सरपंच ग्राम पंचायत वजरन द्वारा पारिवारिक सजरा (वाद पत्र में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा अनुसार) के आधार पर खातेदार दाना पुत्र जयराम के वारिस्तान वादीगण होने से खातेदार दाना पुत्र जयराम के स्थान पर वादीगण को बहिस्ता बराबर खातेदार काश्तकार घोषित जाता है।

मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 1.43 हैक्टर कुल रकबा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि में वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी संख्या 1 का साकिन चौसला की जगह बाजणा दुरुस्त किया जाता है।

मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 2.20 हैक्टर कुल रकबा 2.34 हैक्टर भूमि में वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के इकवाली जवाब व वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर खातेदार दाना पुत्र जयराम के स्थान पर वादीगण को 1/4 हिस्सा का बहिस्ता बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 बिरदीदेवी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्या जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(अशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदे उपखण्ड अधिकारी,
नावां (नागौर)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.

अज अदालत :- श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी -

1. रूडीदेवी पत्नि दानाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
2. ओमप्रकाश पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 53 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
3. प्रेमचन्द पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 51 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
4. सोहनीदेवी पुत्री दानाराम जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रामदेव पुत्र जयराम जाति जाट उम्र 85 वर्ष निवासी बाजणा तहसील नावां।
2. विरदीदेवी पत्नि जयराम जाति जाट उम्र 68 वर्ष निवासी बोरसला तहसील नावां।
3. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)।

मुकदमां नम्बर :- 212/2022


निर्णय दिनांक :- 11.07.2023

इनफिसाल कतई रुवरु.....वहाजरी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण, श्री अमरचंद पंवार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 को डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकवा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकवा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकवा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकवा 2.20 हैक्टर कुल रकवा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकवा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकवा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकवा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकवा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकवा 1.43 हैक्टर कुल रकवा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकवा 1.39 हैक्टर भूमि में खातेदार दाना पुत्र जयराम की मृत्यु दिनांक 03.07.2020 (वाद पत्र में प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार) हो जाने एवं सरपंच ग्राम पंचायत वजरन द्वारा पारिवारिक सजरा (वाद पत्र में प्रस्तुत पारिवारिक सजरा अनुसार) के आधार पर खातेदार दाना पुत्र जयराम के वारिसान वादीगण होने से खातेदार दाना पुत्र जयराम के स्थान पर वादीगण को वहिस्सा वरावर खातेदार काशतकार घोषित जाता है।

मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकवा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकवा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकवा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकवा 2.20 हैक्टर कुल रकवा 2.34 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 158 रकवा 1.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकवा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकवा 1.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 161 रकवा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकवा 1.43 हैक्टर कुल रकवा 6.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 353/70 रकवा 1.39 हैक्टर भूमि में वाद पत्र में प्रस्तुत दरस्तावेजात अनुसार वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी संख्या 1 का साकिन चौसला की जगह बाजणा दुरुस्त किया जाता है।

मौजा ग्राम बाजणा पटवार हल्का ठिकरियांकलां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 216 रकवा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकवा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकवा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकवा 2.20 हैक्टर कुल रकवा 2.34 हैक्टर भूमि में वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के इक्वाली जवाब व वाद पत्र में प्रस्तुत दरस्तावेजात के आधार पर खातेदार दाना पुत्र जयराम के स्थान पर वादीगण को 1/4 हिस्सा


उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

का बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 बिरदीदेवी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.07.2023 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत:

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

मुद्दई	पैसे	गुदायलह	नावां (नागौर)	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफरीक	NIL	NIL	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	NIL	NIL